न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 14 / 2014
तारीख दायरः 03.02.2014

उनवान

1. उदयलाल पिता मथुरालाल जाति ब्राहमण निवासी आमली तहसील माण्डलगढ़।

——प्रार्थी

बनाम

1. श्रवण पिता हरला जाति रेगर निवासी आमली तहसील माण्डलगढ़।
2. रामा पिता हरला जाति रेगर निवासी आमली तहसील माण्डलगढ़।
3. कमला पिता हरला जाति रेगर निवासी आमली तहसील माण्डलगढ़।
4. सुखा पिता चेना जाति रेगर निवासी आमली तहसील माण्डलगढ़।
5. गुलाबी पिता चेना जाति रेगर निवासी आमली तहसील माण्डलगढ़।
6. दुर्गा पिता गांगा जाति रेगर निवासी आमली तहसील माण्डलगढ़।
7. तेजु पिता गांगा जाति रेगर निवासी आमली तहसील माण्डलगढ़।
8. शम्भू पिता जयराम जाति रेगर निवासी जस्सू जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
9. श्यामलाल पिता जयराम जाति रेगर निवासी जस्सू जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
10. कैलाश पिता जयराम जाति रेगर निवासी जस्सू जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
11. लालुराम पिता हजारी जाति खटीक निवासी महुआ तहसील माण्डलगढ़।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

——अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री कैलाश चन्द्र तम्बोली (अधिवक्ता प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांकः 17.09.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम आमली पटवार हल्का जस्सू जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ के निवासी है। प्रार्थी की खातेदारी आराजियात 706 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 707 रकबा 4 बीघा, आराजी नम्बर 734 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 735 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 736 रकबा 9 बिस्वा किता 5 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा पर पेदल सजबेल, टेक्ट्रर से आने जाने का रास्ता कदीमी समय से ग्राम आमली से निकलकर विपक्षीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 728,729,770 / 727,730 भूमि के मध्य उत्तर से दक्षिण की ओर 15 फीट चोड़ा रास्ता स्थित होकर उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी बरसो से करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर से प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु 15 फीट चोड़ा रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि पर जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। मोके पर उक्त खसरा नम्बर में विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त रास्ते को अवरूद्ध करने के उद्देश्य से दिनांक 01.01.2014 को रास्ते को अवरूद्ध कर दिया व प्रार्थी को निकलने के लिये मना कर दिया [illegible] प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में पहुँचने से महरूम हो रहा है। एवं फसल की देखरेख नही कर पा रहा [illegible] स्थिति में उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक [illegible] है [illegible] न्यायालय उचित समझे तो प्रार्थी नियमनुसार डी.एल.सी. रेट जमा करा [illegible] रास्ते का खुलासा कराये जाने श्रीमान तहसीलदार माण्डलगढ़ के यहां रिपोर्ट [illegible] जिस पर आज दिन तक कोई कार्यवाही नही हुई है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया [illegible] आराजी नम्बर 728,729,770 / 727,730 भूमि के मध्य उत्तर से दक्षिण की ओर 15 फीट रास्ता जो आराजी नम्बर 706 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, आराजी नम्बर 707 रकबा 4 बीघा, आराजी नम्बर 734 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 735 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 736 रकबा 9 बिस्वा किता 5 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा की उत्तर दक्षिण मेर पर पहुँचता है। जिसको राजस्व रेकॉर्ड में अंकित कराया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:19:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दिनांक 29.10.2014 को प्रतिवादी संख्या 1, 3, 6 व 7 की ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

दिनांक 17.12.2014 को विपक्षी संख्या 2,4,5 एवं 8 से 11 की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया। यह है कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1 के जवाब की आवश्यकता नही है। यह है कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 2 के जवाब की आवश्यकता नही है। यह है कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 3 राजस्व रेकॉर्ड से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थी ही इसको सिद्ध करवायेगा। रेकॉर्ड को सिद्ध करवाने की सीमा तक प्रार्थनापत्र स्वीकार है। शेष अस्वीकार है। यह है कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 4 आंशिक रूप से स्वीकार है। शेष हितबद्ध काश्तकारो को पक्षकार नही बनाये जाने से प्रार्थनापत्र पोषणीय नही है। उक्त चरण के उपचरण स व द में दिया गया विवरण स्वीकार है। यह है कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या क अन्य विवरण में जो रास्ता मांगा गया है। वह कृषि सम्पत्ति की स्थिति को दर्शाया गया है। अस्वीकार है। प्रार्थी ने विपक्षीगण की खातेदारी भूमि के किस खसरा नम्बर की भूमि की किस तरफ की मेर पर से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर पहुँचने का रास्ता मांग रहा है। स्पष्ट नही हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अस्पष्ट एवं अधुरे विवरण पर आधारित है। जबकि कदीमी रास्ते की मांग को स्पष्ट करने के लिये जिन खसरा नम्बरान की भूमि से होकर प्रार्थी रास्ते की मांग कर रहा है। प्रारम्भ में प्रवेश से लगाकर अन्त में प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुँचने का विवरण स्पष्ट रूप से दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने यह भी स्पष्ट नही किया कि विपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि के किस खसरा नम्बर भूमि के मध्य मेर से गुजरने वाले रास्ते के किस दिशा में कौनसा आराजी नम्बर जिनकी मध्य मेर से यह रास्ता निकलेगा। प्रार्थी जब पुश्तेनी रास्ता बताकर किसी अनुतोष की मांग कर रहा है। तो उसे विपक्षीगण की खातेदारी भूमि का कितने वर्षो से रास्ते के रूप में उपयोग करता रहा है। स्पष्ट किया जाना चाहिए। प्रार्थी के रास्ते बावत प्रार्थनापत्र के अनुष्ट तथ्यो के कारण यह स्पष्ट है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर अन्य रास्ता उपलब्ध होते हुए विपक्षीगण की खातेदारी भूमि से होकर नया रास्ता लेना चाह रहे है। व अपने पुराने रास्ते का उपभोग नही करना चाहता है। न्यायालय जिस प्रकार अधुरे एवं अस्पष्ट विवरण के आधार पर रास्ते की मांग की गई है उसके आधार पर प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य नही है। प्रार्थी ने यह भी स्पष्ट नही किया है उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते के लिये किस खसरा नम्बर की भूमि की कौनसी दिशा में यह रास्ता निकलेगा। प्रार्थी के आवेदन से स्पष्ट है कि वह उत्तर से दक्षिण की ओर जाने के लिये विपक्षीगण के हर खसरा नम्बर की भूमि के दो टूकड़े कर मध्य से रास्ता निकलवाना चाह रहे है। प्रार्थी का यह भी मिथ्या आरोप है कि विपक्षीगण ने रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। विपक्षीगण की अपनी खातेदारी भूमि के अलावा किसी भी रास्ते की नम्बर की भूमि पर कब्जा नही है। विपक्षीगण अपनी ही खातेदारी भूमि का काश्त उपभोग कर रहे है। केवल डी.एल.सी. रेट जमा कराने हेतु तात्पर्य होने से रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रार्थी की अपनी खातेदारी भूमि पर पहुँचने के लिए विपक्षीगण की खातेदारी भूमि को रास्ते नाम पर अपने नाम कराना उचित नही है। प्रार्थी ने विपक्षीगण की खातेदारी भूमि में कोई रास्ता घोषित करवा रखा है। प्रार्थी कभी भी विपक्षीगण की खातेदारी भूमि से होकर अपनी खातेदारी भूमि में नही गया। यदि प्रार्थी विपक्षीगण की खातेदारी भूमि का रास्ता के रूप में उपयोग करता होता तो वहा रास्ते के चिन्ह मौजूद होते। विपक्षीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की पुख्ता सीमा बंदी कर रखी है। कही बाहरी व्यक्ति के खेत में पेदल आने जाने बेलगाड़ी व टेक्टर आदि ले जाने की जगह नही छोड़ी हुई है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावें।

दिनांक 08.04.2019 को ... अप्रार्थी द्वारा हिदायत पैरवी से इन्कार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:19:59 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 12.12.2019 को ... के पत्र क्रमांक ... पटवार हल्का /राजस्व/2019/1223 द्वारा मौका रिपोर्ट ... 707, 734, 735 व 736 किता जस्सू जी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ की आराजी ... नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड 5 रकबा 20.19 वादी उदयलाल पिता मथुरालाल ब्रहमण ... उपरोक्त आराजी में पहुँचने हेतु राजस्व है। वादी की मृत्यु हो चुकी है। ग्राम आमली की उपरोक्त आराजी नम्बर 728, 729/1, 729 व रेकॉर्ड में राजस्व दर्ज नही है। यह है कि वादी द्वारा आराजी नम्बर ... रास्ता लघुतम रास्ता 770/727, 730 के मध्य में रास्ता चाहा गया है। वादी द्वारा चाहा गया रास्ता से आराजी नम्बर नही है। यह है कि ग्राम आमली की आराजी नम्बर 387 बिलानाम रास्ता लघुतम है। यह है कि आराजी 769/702, 701 के दक्षिण दिशा में दिया जाने वाला रास्ता

Scanned with CamScanner

नम्बर 387 में लगती हुई आराजी नम्बर 769/702 व 701 के दक्षिण दिशा में वादी की पुत्रवधु कविता देवी पत्नि कैलाश चन्द्र के नाम आराजी नम्बर 786/703 व 704 व वादी के पुत्र कैलाश चन्द्र पिता उदयलाल के आराजी नम्बर 704/1 स्थित है जो लघुतम रास्ता है। यह है कि इस प्रकार वादी की आराजी नम्बर 707, 706 व सरकारी रास्ते आराजी नम्बर 387 के मध्य वादी के पुत्र व पुत्रवधु की भूमि स्थित है।

दिनांक 17.09.2020 को पत्रावली पेश हुई। हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया और पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वाद अवलोकन स्थिति निम्न प्रकार पायी गई कि प्रार्थी की मृत्यु हो चुकी परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी अथवा प्रार्थी के वारिसानों द्वारा इस बाबत् न्यायालय में लिखित में कोई सूचना नही दी गई। भू.अ.नि. काछोला एवं पटवारी हल्का जस्सूजी का खेड़ा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अवगत करवाया कि वादी उदयलाल पिता मथुरालाल ब्राहमण की मृत्यू हो चुकी है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जाने योग्य बनता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत न्यायालय को प्राप्त सूचना दिनांक 12.12.2019 अनुसार प्रार्थी की मृत्यु हो चूकी है। एवं इस दौरान अब तक प्रार्थी के वारिसान्/अधिवक्ता द्वारा कायमी मुकाम का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश नही किया है। जिससे प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.09.2020 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:19:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner